"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 105] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 28 फरवरी 2014— फाल्गुन 9, शक 1935

आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 28 फरवरी 2014

अधिसूचना

क्रमांक एफ 7-02/2011/32. — छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र. 23 सन् 1973) की धारा 24 की उप-धारा (3) सहपठित धारा 85 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ विशेष क्षेत्र (अचल संपत्ति का व्ययन) नियम, 2008 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, जिसे उक्त अधिनियम की धारा 85 की उप-धारा (1) द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार पहले ही प्रकाशित किया जा चुका है, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त नियमों में,-

1. नियम 12 के उप-नियम (2) में, शब्द "सोसायटियां अथवा निगम अथवा मण्डल" के पश्चात् शब्द "या पंजीकृत गृह निर्माण समितियां" अन्तःस्थापित किया जाये.

2. नियम 13 के उप-नियम (1) में, शब्द "प्राधिकारी द्वारा किया जायेगा" के पश्चात् शब्द "राज्य शासन के पूर्व अनुमोदन से" जोड़ा जाये.

3. नियम 15 के पश्चात्, निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"परन्तु यह कि जहां पट्टादार तीन माह के भीतर पट्टा विलेख निष्पादित करने में विफल रहता है, तो वह देय प्रीमियम राशि का 2 प्रतिशत अतिरिक्त प्रभार भुगतान करने हेतु दायी होगा :

परन्तु यह और कि यदि पट्टा विलेख के निष्पादन में, प्राधिकारी द्वारा विलंब किया जाता है, तो पट्टेदार को किसी अतिरिक्त प्रभार के भुगतान से छूट होगी."

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अमित कटारिया, उप-सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 28 फरवरी 2014

क्रमांक एफ 7-02/2011/32.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, छत्तीसगढ़ विशेष क्षेत्र अचल संपत्ति का व्ययन नियम, 2008 में संशोधन संबंधी इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 28-2-2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अमित कटारिया, उप-सचिव.

Naya Raipur, the 28th February 2014

NOTIFICATION

No. F 7-02/2011/32. — In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 85 read with sub-section (3) of Section 24 of Chhattisgarh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 (No. 23 of 1973), the State Government hereby, make the following amendment in the Chhattisgarh Vishesh Kshetra (Achal Sampatti Ka Vyayan) Niyam, 2008 the same having been previously published as required by sub-section (1) of Section 85 of the said Adhiniyam, namely :-

AMENDMENT

In the said rules,-

1. In sub-rule (2) of Rule 12, after the words "societies or corporation or boards", the words "or registered housing societies" shall be inserted.

2. In sub-rule (1) of Rule 13, after the words "shall be decided by the Authority", the words "with the prior approval of the state Government" shall be added.

3. After rule 15, the following proviso shall be added, namely :-

"Provided that where the lessee fails to execute the lease deed within three months, he shall be liable to pay 2% additional charge on the payable premiun amount :

Provided further that if the delay in execution of the lease deed is caused by the Authority, the lessee shall be exempted from the payment of additional charges."

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
AMIT KATARIA, Deputy Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2014.